## श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार के साथ दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को आयोजित बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित प्रमुख बिन्दु

**1.** अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता इंडस्ट्रीयल कोरिडोर अपने राज्य बिहार से हो कर गुजर रहा है । इसी क्षेत्र से हल्दिया जगदीशपुर गैस पाइप लाईन भी गुजर रही है । इस क्षेत्र में रोड एवं रेल नेटवर्क पूर्व से ही उपलब्ध है । बेहतर आधारभूत संरचना के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की बड़ी संभावना है अत: गया और कैमूर के बीच कम–से–कम दो औद्योगिक शहर स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए ।

**2.** उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए । प्रोत्साहन राशि मिलने में विलम्ब से व्यवसायियों को कार्य में काफी बाधा आती है।

GST प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया जटिल होने के कारण उद्यमियों को जीएसटी प्रातिपूर्ति में काफी कठिनाईयाँ हो रही है । इसके प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।

**3.** बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

- भूमि बैकों की स्थापना किया जाना चाहिए ।
- बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार को Facilitator की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए ।
- ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना किया जाना चाहिए ।
- औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह–जगह पर इलाकों को चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगी जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें ।
- नई औद्योगिक इकाईयाँ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेते हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर–मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है । यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।

क्रमश:..........2

4. **<u>BIADA के संबंध में</u>**

(i) BIADA की ओर से पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक भूमि की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई है परन्तु **औद्योगिक भूमि जो कि पटना के आसपास है उनका रद्द करना, उद्यमियों को परेशान करना इन्हीं सब मे अपना समय लगा रहा है** । इसके कारण उद्यमियों का BIADA के प्रति जो आत्मविश्वास था उसका घोर अभाव व्याप्त हो गया है ।

यहाँ यह बताना उचित होगा कि BIADA ने जब भी जो भी जमीन का आवंटन किया है उसे Market Value की दर पर दिया है एवं उद्यमियों से उसकी कीमत भी लिया है।

अत: BIADA को चाहिए कि आवंटियों को नये–नये विवादों के माध्यम से परेशान न करके **जिस जमीन की पूरी कीमत ले लिया गया है उस जमीन को Free Hold में Convert किया जाना चाहिए** । बिहार राज्य आवास बोर्ड ने लीज पर दिए गए जमीनों को (MVR) सर्किल रेट का 10% राशि लेकर Free Hold किया है । उसी प्रकार से BIADA द्वारा भी लीज होल्डर के आवंटित भूमि को Free Hold किया जाना चाहिए । इस तरह का प्रावधान कई राज्यों में पहले से है ।

(ii) कुछ औद्योगिक एरिया में Effluent Treatment Plant (ETP) की स्थापना की बात हो रही है परन्तु औद्योगिक एरिया में बरसात के पानी के निकासी हेतु Drainage System ही नहीं है । Effluent कैसे ETP तक ले जाएंगे । अत: ETP की स्थापना के पहले पानी के निकासी की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए ।

(iii) जमीन के अधिकतम उपयोग हेतु बियाडा के हस्तांतरण (Transfer) की नीति को सुविधाजनक बनाना चाहिए एवं समयबद्ध अनुमति दी जानी चाहिए ।

5. **<u>राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होनेवाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के संबंध में</u>**

राज्य में उत्पादित सामग्रियों की सरकार के साथ–साथ सरकार के उपक्रम, सरकार द्वारा गठित एजेंसी सबसे बड़े खरीददार होते हैं । स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर सामग्री खरीद अधिमानता नीति बनायी जाती रही है । हमारा सुझाव होगा कि इकाई के L1 नहीं रहने पर भी स्थायी इकाईयों को L1+ 10% अधिकता के मूल पर कम से कम 30% मात्रा स्थानीय इकाईयों से लिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

स्थानीय इकाइयों को सरकार द्वारा घोषित सामग्री खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय उद्योगों को रोकने के लिए निविदा में अनुभव एवं टर्नओवर की शर्त्तें लगा दी जाती है जिससे स्थानीय उद्योग वंचित रह जाते हैं । अत: यदि कोई विभाग द्वारा सरकार की खरीद नीति का पालन नहीं किया जाता है तो दण्ड का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है ।

6. **<u>चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति बनाने के संबंध में</u>**

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है । इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए ।

**7.** <u>विद्युत संबंधित</u>

हमारे राज्य में वर्त्तमान में लागू विद्युत दर काफी अधिक है और पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से तुलना की जाए तो यह दर 1½ से 2 गुणा अधिक होती है। उँची बिजली की दर की वजह से राज्य में अवस्थित उद्योगों की उत्पादन लागत पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है और यही कारण है कि पड़ोसी राज्यों का उत्पाद आकर बिहार में बिक रहा है एवं राज्य के उद्योग बंदी की कगार पर जा रहे है।

**इस संदर्भ में हमारा सरकार से सुझाव एवं आग्रह है कि बिजली की दर को पूर्णनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि राज्य में उद्योगों को बन्द होने से बचाया जा सके।**

उद्योगों को Level Playing Field देने के लिए One nation one tariff की भी बात हो रही है । इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि इसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिए या बिहार सरकार को Subsidise करके बिजली की दरों को पड़ोसी राज्य के बराबर करना चाहिए ।

**8.** <u>सोलर पावर के प्रश्रय हेतु सब्सिडी</u>

सरकार ने राज्य में सरकारी, गैर–सरकारी अथवा निजी भवनों के छत पर सोलर पैनल लगाकर उर्जा के वैक्लपिक श्रोत के रूप में अत्यधिक बढ़ावा देने हेतु लागत की 55% सब्सिडी अनुदान के रूप में देने की योजना लागू की थी।

हमारा सुझाव होगा कि उक्त योजना को लागू रखना चाहिए और इसका अत्यधिक प्रचार–प्रसार करने की भी जरूरत है ताकि लोग इस योजना का लाभ उठा सके।

**9.** <u>पर्यटन संबंधित</u>

(i) हमारे राज्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के श्रद्धालुओं की रूचि को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए। सरकार ने प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जिस तरह की व्यवस्था एवं भागीदारी की थी वो पूरे देश भर में सिख श्रद्धालुओं द्वारा सराही गयी थी और काफी संख्या में श्रद्धालुगण पटना अथवा राजगीर पधारे थे।

2020 -21 के केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार ने देश के पांच जगहों का Iconic Tourist Spot के रूप में चयन किया है । दुर्भाग्यवश बिहार के किसी पर्यटन स्थल को उसमें शामिल नही किया गया है। अत: आपसे अनुरोध है कि बिहार के निम्नलिखित स्थलों यथा पावापुरी, काकोलत, बिक्रमशिला भागलपुर गया, नंदनगढ़, लौरिया बेतिया, केसरिया, बराबर की गुफा, सीतामढ़ी को भी पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाना चाहिए।

(ii) बिहार में काफी संख्या में असम, नेपाल, भूटान, सिक्कम आदि से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं । अत: इस क्षेत्र के और विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे कि **राज्य में मेडिकल टूरीज्म का समुचित विकास हो सके ।**

**10.** <u>पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित सुझाव</u>

(i) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के औद्योगिक इकाईयों से संबंधित यदि कोई नया प्रावधान लाया जाता है तो उसके कार्यान्वियन के पूर्व उद्यमियों को अच्छी तरह से Awareness Programme आयोजित कर जानकारी दिया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर उद्यमी कम पढ़े–लिखें हैं और उन्हें बहुत से कानूनों की जानकारी नहीं होती है ।

**क्रमशः..........4**

(ii) यदि कोई उद्योग द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करता है और किसी कारणवश उसका आवेदन रद्द हो जाता है तो पुनः आवेदन करने पर पर्षद की ओर से फिर से निर्धारित शुल्क जमा कराने को कहा जाता है । जबकि उद्यमी की ओर से पहले ही आवेदन शुल्क जमा किया जा चुका है । एक ही कार्य के लिए दो बार शुल्क की मांग करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है ।

(iii) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के उद्योगों से संबंधित विभिन्न समाचार–पत्रों में जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है वह धमकी भरा होता है जिससे राज्य के उद्यमियों में भय व्याप्त हो जाता है और हत्तोत्साहित होते हैं अतः इस प्रकार के विज्ञापन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ।

(iv) वर्तमान में राज्य में चल रहे उद्योगों को National Green Tribunal (NGT) आदि जैसे किसी संगठन द्वारा तैयार किए गए नए मानदंड/विनियमन को लागू कर परेशान नहीं किया जाना चाहिए यदि वह इकाई बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति/मंजूरी के बाद चल रही है । यदि नए मानदंड बनाए जाते हैं तो उसे नई इकाइयों पर ही लागू किया जाना चाहिए पुराने इकाईयों पर नहीं ।

**11.** <u>भूजल</u>

बिहार में भूजल की कोई समस्या नहीं है। भूजल का स्तर बहुत अधिक है। हम जहाँ भी जमीन खोदते हैं, वहाँ 5 से 10 फीट तक भी खुदाई करने पर भूजल निकलता है।

हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार राज्य में भूजल को विनियमित करने और उद्योगों को मजबूर करने की क्या आवश्यकता है साथ ही बिहार राज्य में उद्योगों द्वारा भूजल की निकासी बहुत ही कम है।

हमारा विचार है कि भूजल का उपयोग करने वाले एमएसएमई को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने से छूट दी जानी चाहिए साथ ही अगर किसी क्षेत्र में पानी का स्तर 100 से 150 फीट से नीचे चला जाता है तो ही इसे लागू किया जाना चाहिए।

**राज्य के लिए भूजल प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए इससे उद्यमियों को सुविधा के साथ–साथ राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी ।**

**12.** <u>बैंकों का नकारात्मक रवैया:–</u>

(i) राज्य में निजी व्यापारिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैक ऋण देने में काफी उदासीन भावना रखते हैं क्योंकि उनको ऐसी आशंका रहती है कि राज्य में अवस्थित किसी भी उद्योग को दिये जाने वाला ऋण का वापस भुगतान प्राप्त नही होगा। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने वाले केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहे हैं, उन्हे राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नही है ।

राज्य में जमा धनराशि का प्रयोग इन बैकों द्वारा अन्य राज्यों में ऋण देने में किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप, राज्य में CD Ratio राष्ट्रीय औसत से काफी कम है । सरकार को रिजर्व बैंक अथवा अन्य माध्यम से इन बैंकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए, और असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों को सरकारी जमा से वंचित किया जाना चाहिए ।

(ii) 20 से अधिक पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बावजूद एक भी बैंक का हेड क्वार्टर बिहार में स्थित नहीं होने के कारण भी बैंकों से ऋण मिलने में कठिनाई होती है अत: इस संबंध में सरकार के स्तर पर वार्ता कर कम–से–कम एक पब्लिक सेक्टर बैंक का हेड क्वार्टर बिहार में रखने का आग्रह किया जाना चाहिए ।

(iii) किसी परियोजना में यहाँ के बैंक finance करने में हिचकते हैं उसी परियोजना को बाहर के बैंक अधिक loan देकर finance कर देते हैं ।

**13.** <u>वाटर वेज</u>

हल्दिया और इलाहाबाद के बीच कार्गो की आवाजाही हेतु पटना के रास्ते गंगा नदी में जल मार्ग में आवश्यक सुधार करके प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

**14.** <u>पावर एंड फ्यूल</u>

6% की दर से बिजली शुल्क बहुत अधिक है। यह पहले की तरह 0.2 पैसे प्रति यूनिट होना चाहिए I इसे वैटेबल बनाया जाना चाहिए और देय जीएसटी से समायोजित किया जाना चाहिए।

**15**. Pollution के कारण उद्योगों में कोयला का उपयोग कम करके उसकी जगह PNG (गैस) का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है परन्तु गैस बहुत हीं महंगी है। **चैम्बर द्वारा गैस पर से वैट घटाने एवं उसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने हेतु वाणिज्य–कर विभाग, बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है परन्तु इस संबंध में कोई आदेश नहीं हुआ है ।**

**16.** इन दिनों फैक्ट्री में कोई भी छोटी–मोटी घटना होने पर उसके प्रोपराइटर पर कारखाना निरीक्षक द्वारा वगैर सत्यता की जॉच किए हुए मुकदमा कर दिया जा रहा है जो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है और इससे उद्यमियों की परेशानियाँ और बढ़ जा रही है ।

आपको यह भी विदित है कि राज्य में उद्योग बहुत ही कम संख्या में हैं और राज्य सरकार की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में अधिकाधिक उद्योग लगे जिससे कि राज्य का आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों को रोजगार मिले । ऐसी परिस्थिति में यदि वर्तमान उद्यमियों पर इस प्रकार के मुकदमा किया गया तो उसका प्रतिकूल प्रभाव नये निवेशकों पर पड़ेगा। आशा है राज्य के औद्योगिक विकास के व्यापक हित में हमारे उपर्युक्त सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समस्या का कोई समाधान निकालने की कृपा करेंगे ।

**17.** कोशी क्षेत्र में वृहत पैमाने पर मक्के की खेती होती है परन्तु इस क्षेत्र में मक्का आधारित उद्योगों के अभाव में मक्का को भारत के दक्षिण के प्रान्तों को कम कीमत पर बेचना पड़ता है । अत: इस क्षेत्र में यदि मक्का आधारित उद्योगों की स्थापना होती है तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा । मक्का से इथेनॉल का भी उत्पादन किया जा सकता है ।

**18.** बिहार का उत्तरी भाग विशेषकर सहरसा, सुपौल आदि की भूमि मखाना की खेती के लिए अनुकूल है । मखाना से कई प्रकार के खाद्य सामग्रियों बनायी जाती है । इस कार्य में समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मछुआरा समुदाय मुख्य रूप से जुड़े हैं । मखाना उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके ।

**19.** केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को तय 36 करोड़ लीटर इथेनाल के कोटा को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ किये जाने की आवश्यकता है।

**क्रमश:..........6**

**20.** अन्य मामले

औद्योगिक विकास निधि का गठन

(i) राज्य में अवस्थित कार्यरत एवं नवीन उद्योगों के विकास हेतु सरकार को हमारा सुझाव है कि राज्य में एक औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाए । इस निधि के फंड का उपयोग राज्य में उद्योगो के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास, सीड पूंजी की उपलब्धता, कार्यरत उद्योगों के उन्नयन, रूग्ण एवं Bankruptcy के तहत आए MSME उद्योगों को पुर्नजीवित करने हेतु किया जाना चाहिए ।

इस निधि का गठन 1000 करोड़ रूपये के आरंभिक शुरूआत के साथ किया जाना चाहिए एवं उसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रूपये की राशि की वृद्धि की जानी चाहिए।

(ii) उद्योग की स्थापना, विकास एवं उन्नति के लिए पूंजी का होना अति आवश्यक है । पूंजी चाहे Term Loan हो, Working Capital हो या अन्य वित्तीय सुविधाएं हो, सभी बैंकों द्वारा ही दिया जाता है । बैंकों से ऋण के लिए उनके साथ Agreement/ Hypothecation/ Mortgage document बनाया जाता है । 1 अगस्त 2012 के पूर्व बैंक से Loan document पर Hypothecation चार्ज 290/- रूपया प्रति हजार लगता था यानि यदि बैंक से कोई 10 करोड़ का ऋण लेता था तो उसे 2,90,000/- Stamp Duty लगता था ।

सरकार ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार गजट नोटिफिकेशन न० 1/M-148/2011-1959 दिनांक 01.08.2012 के द्वारा Hypothecation के मामले में अधिकतम एक मुश्त 5000/- तथा Mortgage के मामले में एक मुश्त अधिकतम 20,000/- दिनांक 01.08.2012 से किया गया । लेकिन पुन: 21.07.2016 के प्रभाव से बिहार गजट नोटिफिकेशन संख्या 10/MO-Vividh-36/2016-3428 के द्वारा Hypothecation के मामले में बढ़ाकर 10 करोड़ तक के लिए 1,00,000/-, 10-50 करोड़ तक के लिए 3,00,000/- एवं 50 करोड़ से उपर के लिए 5,00,000/- निर्धारित किया गया है जो कि 21.07.2016 के पूर्व 5000/- था । अत: अनुरोध है कि Hypothecation charge को पूर्व की भांति किया जाना चाहिए ।

(iii) खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उत्पाद के निर्यात हेतु संस्था का गठन

हमारा राज्य उपजाउ भूमि एवं मेहनतशील श्रम उपलब्ध रहने की वजह से खेती पर विशेष आश्रित है और इसके विकास की अपार संभावनाएँ भी विद्यमान है।

राज्य में फल, सब्जी, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों का निर्यात करके अर्थव्यवस्था में काफी योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि **राज्य में निर्यात की सुविधा प्रदान करने हेतु एक सहयोग संस्था का गठन किया जाये** ताकि जरूरतमंद लोगों को उनके उत्पादों के निर्यात हेतु आवश्यक जानकारी एवं सुविधा प्रदान की जा सके। इस संस्था की शाखाएँ क्षेत्रवार स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपने स्थान के नजदीक में ही सुविधा उपलब्ध हो सके।

**क्रमश:..........7**

(iv) **बिहार में उद्योगों के विस्तार हेतु विभिन्न MSME के कलस्टर की संभावना के विकास पर विचार करना चाहिए :–**

चनपटीया में जिस प्रकार से टेक्सटाइल का काम बढ़ा है एवं क्लस्टर के रूप में विकसित किया है उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों को भी चिन्हित करके कलस्टर के Concept को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(a) एलईडी बल्व कलस्टर– पटनासिटी

(b) बर्तन कलस्टर– परेव/भोजपुर

(c) पावरलुम कलस्टर– मानपुर, गया

(d) मोल्डिंग इण्डस्ट्री– नवादा

(e) कालीन हस्तकला उद्योग– ओबरा

(f) सिल्क–तसर कपड़ा हस्तकला उद्योग– कादिरगंज (नवादा)

(g) कॉटन कपड़ा हस्तकला उद्योग– सिगोरी (पालीगंल, पटना)

(h) बिहार के विभिन्न स्थानों पर चमड़ा (Leather), रेडीमेड गार्मेन्ट एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का कलस्टर बनाया जाना चाहिए ।

(v) उद्योग विभाग की ओर से **राज्य में उद्योगों के विकास हेतु कुछ अधिकारियों को आगामी 3 से 5 साल की अवधि के लिए एक निश्चित राशि का MSME में निवेश लाने हेतु Target दिया जाना चाहिए** एवं इसकी प्रगति का आकलन समय–समय पर किया जाना चाहिए । उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को उद्योगों का Regulator के रूप में कार्य न करके उसके एसोसिएट के रूप में कार्य करना चाहिए ।

**********

पटना

<u>**17 अक्टूबर 2022**</u>